संख्याः 1/2008-03/(3)33/07

प्रेषक,

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 24 जून, 2008

विषयः– चिलूड़गाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, विकासखण्ड मोरी, जनपद उत्तरकाशी क्षमता 100 किलोवाट के निर्माण हेतु वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश सं0–4196-I-2007-03(03)/2/06 दि0–08.01.08 के क्रम में उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–2264/उरेडा/4(1)/205/चिलूड़गाड़/2007 दि0–17.12.07 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिलूड़गाड़ लघु जल विद्युत परियोजना हेतु आपके उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कुल आगणित धनराशि रू0–1,77,84,000/ के सापेक्ष वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 149.73 लाख (रु0 एक करोड़ उनचास लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एव वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधानों को, कार्य करने से पूर्व, विस्तृत ब्यौरा गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः.....

7— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8— आगणन में ली गयी मदों की आपूर्ति, वृहद् प्रचार–प्रसार के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर ली जाय।

9— परियोजना पर व्यय करते समय बजट मैन्युअल, वित्तीय पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एम0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एवम् मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा। मितव्ययता की मदों में कटौती करने के प्रयास किये जायेंगें।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय केन्द्रांश, लाभार्थी अंश का उपयोग करते हुये राज्यांश के सापेक्ष व्यय वहन चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60 ऊर्जा के अन्य स्त्रोत–800 अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अर्न्तगत अंशपोषित योजनायें–01–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता शीर्षक/मद के अर्न्तगत किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–610 दिनांक–13 जून, 2008 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव।

संख्या 983/I/2008-03(3)/33/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
4— वित्त अनुभाग–2।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— गार्ड फाईल।
7— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव